

पूर्वोत्तर रेलवे
कार्यालय आदेश सं-186

मुख्य कारखाना प्रबन्धक/कार्मिक, इज्जतनगर के पत्र सं०-यों/का/283/अ.म.-अ. रे/स्थाना/पर्य०/पार्ट-IV दि० 02.03.19 एवं मुकाप्र/सवारी डिब्बा कारखाना, आलगबाग, लखनऊ, उत्तर रेलवे के पत्र सं०-सीडब्लूएम/772/सुपरवाइजरी/पार०-स्थाना०/पार्ट-VII दि० 01.11.19 के द्वारा श्री सतीश कुमार गौतम पुत्र श्री विजयी राम, सी०से०इन्जी० (लेबल-7 पे मैट्रिक्स 44900-142400) बीजी पीओएच कार० इज्जतनगर का श्री पदम सिंह पुत्र रुम सिंह, सी०से० इन्जी०, सवारी डिब्बा कारखाना, आलगबाग, लखनऊ, उत्तर रेलवे (लेबल-7 पे मैट्रिक्स 44900-142400 के साथ स्वयं के अनुरोध पर अन्तर रेलवे पारस्परिक स्थानान्तरण अनुमोदित किया गया है।

श्री सतीश कुमार गौतम पुत्र श्री विजयी राम, सी०से०इन्जी० (लेबल-7 पे मैट्रिक्स 44900-142400) बीजी पीओएच कार० इज्जतनगर जो कि एसपीई/विजी० एवं डीएआर आदि मामलों से मुक्त है, का पारस्परिक स्थानान्तरण मुख्य कारखाना प्रबन्धक/कार्मिक, आलगबाग, लखनऊ, उत्तर रेलवे के अधीन किया जाता है। अतः श्री सतीश कुमार गौतम पारस्परिक स्थानान्तरण पर आलगबाग, लखनऊ उत्तर रेलवे के लिए सम्बन्धित शाप प्रभारी द्वारा विरमित किये जाने पर यह इस इकाई को रिपोर्ट करें तत्पश्चात इन्हें इस कार्यालय द्वारा आलगबाग लखनऊ वर्कशाप हेतु कार्य मुक्त किया जायेगा।

उपरोक्त वर्णित कर्मचारियों का पारस्परिक स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर स्वीकृत होने के कारण इन्हे स्थानान्तरण सम्बन्धी कोई भी सुविधा देय नहीं होगी तथा वरीयता भी नये संवर्ग में पारस्परिक स्थानान्तरण के प्रचलित नियमों के अनुरूप ही देय होगी।

इस पर मुकाप्र महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य कारखाना प्रबन्धक/कार्मिक
इज्जतनगर

पत्र सं०-यों/का/283/अ.म.अ.रे./स्थाना०/पर्यवेक्षक/पार्ट-IV दिनांक- 09.12.2019
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महाप्रबन्धक/कार्मिक, पू०उ०रे०गोरखपुर
2. वसविस, कार०इज्जतनगर।
3. शाप प्रभारी/बीजी पीओएच, कार० इज्जत०-कर्मचारी श्री सतीश कुमार गौतम पुत्र श्री विजयी राम, सी०से० इन्जी० (लेबल-7 पे मैट्रिक्स 44900-142400) रेलवे बोर्ड के पत्र दि० 21.11.2001 में उल्लिखित निर्देशों के अध्याधीन निर्धारित प्रारूप पर कार्यमुक्त करते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को रिपोर्ट करने हेतु निर्देशित करें।
4. मुकार्याधी/सामान्य, कार्मिक(कैडर, बिल एवं लीव अनु०) कार०इज्जतनगर।
5. कार्यालय आदेश मिसिल/कार्मिक, कार०इज्जतनगर।
6. मण्डल मन्त्री-नरमू, ओबीसी एवं अजजा/अजा एस०, कार०इज्जतनगर।
7. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा शाप प्रभारी/बीजी पीओएच, कार०इज्जतनगर।

मुख्य कारखाना प्रबन्धक/कार्मिक
इज्जतनगर